


आदेश	कार्यवाही विवरण पिल्लूराम बनाम रामेश्वर आदि प्रकरण संख्या 13/2019	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
3.6.22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता को बार-बार रूक-रूक कर न्यायालय समय तक आवाज लगवाई गई, परन्तु इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नहीं होने से स्पष्ट होता है कि वादी को अपनी वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप वाद वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ</p>	

